फा. सं. 15-05/जीए/2014-15-एफ.एस.एस.ए.आई-2015

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

23 जून, 2015

विषय : दिनांक 16 जनवरी, 2015 को आयोजित प्राधिकरण की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 18 मई, 2015 को आयोजित 17वीं बैठक में दिनांक 16 जनवरी, 2015 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 16वी बैठक के कार्यवृत्त का अंगीकरण/अनुमोदन करते हुए एफ.एस.एस विनियमों के प्रवर्तन के लिए समय-सीमा की नीति संबंधी मद सं0 V(1) पर सुश्री श्रेया पांडेय द्वारा किए गए अवलोकनों की तरफ ध्यान दिलाया गया और कुछ लिखित टिप्पणियाँ भी सौंपी।

2. सी.ई.ओ. ने स्पष्ट किया कि सदस्य को बैठक के दौरान विषय पर टिप्पणियाँ करने का पूरा अवसर उपलब्ध था और यह अवलोकन किया कि कार्यवृत्त बैठक के बाद हुई चर्चा का यथार्थ रिकार्ड होता है। तथापि, अध्यक्ष ने अवलोकन किया कि लिखित टिप्पणियों पर अलग से विचार किया जा सकता है और यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें प्राधिकरण की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। खाद्य प्राधिकरण की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त का उपर्युक्त अवलोकनों के साथ अंगीकरण किया गया और उसकी पुष्टि की गई।

हस्ता/-

(राकेश चन्द्र शर्मा)

निदेशक (सामान्य प्रशासन)

अनुलग्नक:

खाद्य प्राधिकरण की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 16 जनवरी, 2015 को एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में 1100 बजे आयोजित
खाद्य प्राधिकरण की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की 16वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2015 को 1100 बजे एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में श्री के. चन्द्रमौली, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुबंध 1** पर दी गई है। बैठक में उपस्थित न हो पाने वाले सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. अध्यक्ष ने प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और सभी सदस्यों को नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाई. एस. मलिक का परिचय कराया। उन्होंने स्मरण कराया कि प्राधिकरण की पिछली बैठक 20 अगस्त, 2014 को हुई थी और सूचित किया कि खाद्य मानकों के कोडेक्स मानकों से सुमेलन के लिए अप्रैल, 2013 में एक व्यापक कार्रवाई आरंभ हो गई है। इस सुमेलन प्रक्रिया का परिणाम प्राधिकरण के समक्ष विभिन्न एजेंडा आइटमों के रूप में अनुमोदन के लिए लाए गए मानकों के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्राधिकरण की पिछली और वर्तमान बैठक के समय में मानक निर्धारण की बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए व्यापक कार्य किया गया। उन्होंने श्री वाई. एस. दवे, सलाहकार और उनकी टीम की उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा की और उजागर किया कि इससे उत्पाद अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाने में सहायता मिलेगी।

3. अध्यक्ष ने यह भी अवलोकन किया कि देश की अवस्थाओं और इसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत बड़े पैमाने पर भारतीय मानकों का कोडेक्स मानकों से सुमेलन करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले कुछ देशों में से एक होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये विज्ञान- आधारित मानक हैं और उन्होंने प्राधिकरण के सभी सदस्यों को इस बारे में अपनी शंकाएँ बताने, स्पष्टीकरण मांगने, सुझाव देने अथवा सुधार करने के लिए आमंत्रित किया।

4. उन्होंने अवलोकन किया कि मानकों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, जिससे उनके अंतिमन में असाधारण देरी होती है। वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित लगभग 14,000 विज्ञान-आधारित मानक प्राधिकरण के समक्ष इसके अनुमोदन/ अंगीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, कई चरणों की प्रक्रिया होने के कारण उन्हें अधिसूचित करने में पर्याप्त समय लग सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राधिकरण इस बात का संकल्प करने पर विचार करे कि प्राधिकरण की वर्तमान बैठक द्वारा अनुमोदित मानकों को अधिसूचना की प्रक्रिया के लंबित रहते कार्यान्वित कर दिया जाए।

5. उन्होंने आगे कहा कि खाद्य प्राधिकरण में सभी हितों के प्रतिनिधि शामिल हैं और प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचक हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है। अत: प्राधिकरण में किसी हितधारक ग्रुप

के मामले/चिंताएँ प्रतिनिधि सदस्य द्वारा उठाए जाएँ और उन पर चर्चा तथा विचार-विमर्श किया जाए।

6. उन्होंने सी.ई.ओ. को प्राधिकरण की बैठकों में अनुमोदित "विनियमों और मानकों की अधिसूचना की स्थिति की समीक्षा" को प्राधिकरण की अगली सभी बैठकों में एजेंडा आइटम के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। ए.टी.आर. मद भी चर्चा के लिए प्राधिकरण की कार्यसूची का अंग बनाई जाए। उसके बाद अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई को बैठक की कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची की मदें : मद 1 से 4

मद सं0 1 : सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन

(i) बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने बैठक की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व बैठक में विचारार्थ एजेंडा आइटमों के बारे में "हित की विशिष्ट घोषणा" पर हस्ताक्षर किए। सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रस्ताव किया कि हित की विशिष्ट घोषणा पर सदस्य द्वारा केवल प्राधिकरण के गठन के बाद एक बार हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और, जब तक किसी सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई हित उत्पन्न न हो जाए और उसका किसी एजेंडा आइटम विशेष के बारे में कोई विशिष्ट हित न हो, उक्त घोषणा पर प्रत्येक बैठक के समय हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी एक के घटित होने पर यह संबंधित सदस्य पर छोड़ा जाए कि वह प्राधिकरण को अपने हित के बारे में बताए और, जैसी भी स्थिति हो, वह किसी मद विशेष पर विचार-विमर्श से अपने आपको अलग रखे। एक अन्य सदस्य ने इस तथ्य की तरफ भी ध्यान दिलाया कि हित की घोषणा प्रत्येक बैठक की अपेक्षा एक वार्षिक कार्य-कलाप होना था।

(ii) विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब के बाद प्राधिकरण के सदस्यों को घोषणा पत्र पर केवल एक बार हस्ताक्षर करने होंगे, जब उन्हें यह वचन देना होगा कि उनकी सदस्यता की अवधि के दौरान किसी भी समय उनका कोई हित उत्पन्न होने पर वे प्राधिकरण को सूचित करेंगे और वे प्राधिकरण को यह बताएँगे कि क्या किसी बैठक में उनका किसी एजेडा मद विशेष के बारे में कोई हित तो नहीं है और ऐसी स्थिति में वे अपने आपको उस मद पर चर्चा से अलग रखेंगे।

मद सं0 2 : 20 अगस्त, 2014 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

(i) प्राधिकरण ने दिनांक 20 अगस्त, 2014 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया। कार्यवृत्त का अंगीकरण करते समय निदेशक (कोडेक्स), एफ.एस.एस.ए.आई ने सुश्री मीतू कपूर, सदस्य द्वारा "कैरामल" को संश्लेषित रंग की श्रेणी में लाने के बारे में मद सं0 4 की ओर समिति का ध्यान दिलाया और कहा कि इसे संश्लेषित रंग मानने के बारे में कार्यवृत्त में कोई औचित्य नहीं दिया गया। श्री सलीम वैल्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ ने

भी कहा कि उनका नाम भागीदारों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने पिछली बैठक में भाग लिया था।

(ii) खाद्य प्राधिकरण ने सदस्यों द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं को नोट किया और प्राधिकरण की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त को अपनाया।

मद सं0 3 : की गई कार्रवाई की रिपोर्ट - प्राधिकरण की 15वीं बैठक

(i) खाद्य प्राधिकरण की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राधिकरण के सदस्यों की सूचना के लिए संलग्न की गई थी। यह भी चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्राधिकरण की पिछली बैठकों की लंबित एजेंडा मदें अगली बैठकों में स्थायी एजेंडा मद के रूप में एक मानक प्रारूप में कालक्रम से रखी जाएँ।

(ii) एक सदस्य ने 13वीं और 14वीं बैठक की वसाओं और तेलों संबंधी एजेंडा मदों के लंबित होने का मामला उठाया। यह सूचित किया गया कि इन पर वसाओं और तेलों पर प्रस्तावित कार्यकारी दल द्वारा विचार किया जाएगा।

मद सं0 4 : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

(i) सी.ई.ओ., एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण के सभी लब्ध-प्रतिष्ठित सदस्यों का स्वागत किया और प्राधिकरण की बैठकों में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्यों का ध्यान मानकों के सुमेलन की विशाल प्रक्रिया की ओर दिलाया जिसके अंतर्गत इस बैठक में प्राधिकरण के समक्ष 14,533 मानक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक ओर अंतिम अधिसूचनाएँ जारी करने की लंबी प्रक्रिया तथा दूसरी ओर उत्पाद अनुमोदनों के विभिन्न लंबित आवेदनों तथा अन्य सभी नए मामलों पर इन मानकों के लागू करने की अत्यावश्यकता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने प्रस्ताव किया कि प्राधिकरण इन मानकों की औपचारिक अधिसूचना के लंबित रहते इन्हें तुरंत क्रियान्वित करने पर विचार करे।

(ii) आगे, उन्होंने उत्पाद अनुमोदन गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और बताया कि उत्पाद अनुमोदन सिस्टम के प्रारंभ होने के बाद कुल 763 उत्पाद अनुमोदन जारी किए गए, जिनमें से 241 उत्पाद अनुमोदन सितंबर, 2014 से आज तक जारी किए गए है। उन्होंने आयात गतिविधियों, केंद्रीय लाइसेंसों तथा राज्यों द्वाराखाद्य कारबारियों के पंजीकरण एवं लाइसेंसों की संख्या सहित प्रवर्तन गतिविधियों; प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण; वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों; और आई.ई.सी गतिविधियों की झलक भी प्रस्तुत की। कोडेक्स गतिविधियों के संबंध में उन्होंने बताया कि भारत को 35 वर्षों बाद क्षेत्रीय समन्वय समिति के 19वें सत्र में ऐशिया का क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्होंने कोडेक्स संबंधी मामलों में राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु के रूप में श्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स) और उनकी टीम के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की।

मद सं0 5 : नियमित एजेंडा मदें

सी.ई.ओ. की रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद नियमित एजेंडा मदों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श किया गया:

1. एफ.एस.एस. विनियमों के समय-सीमा में प्रवर्तन की नीति

खाद्य प्राधिकरण ने एफ.एस.एस. विनियमों के 180 दिनों की शर्त के अध्यधीन 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई से प्रवर्तन की समय-सीमा की नीति पर विचार करके उसका अनुमोदन किया। आपात स्थिति में हर मामले पर अलग-अलग विचार किया जा सकता है। एक सदस्य ने सामान्य खंड अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी अधिसूचनाओं के समाचार-पत्रों में प्रकाशन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह स्पष्ट किया गया कि संपूर्ण अधिसूचनाओं को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, ऐसी अधिसूचनाओं के जारी होने संबंधी तथ्य के समाचार-पत्रों अथवा एफ.एस.एस.ए. आई. के न्यूजलेटर में प्रकाशन पर विचार किया जा सकता है। सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि मसौदा विनियमों/अधिसूचनाओं पर सम्मतियों को सम्मति देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए 'शपथ-पत्रों' के रूप में आमंत्रित किया जाए। सी.ई.ओ. ने स्पष्ट किया कि शपथ-पत्र ई-गवर्नेंस का सहज माध्यम नहीं है और एफ.एस.एस.ए.आई ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अन्य सभी मामलों में "शपथ-पत्रों" की जगह "स्व-घोषणा" को भी रखा था कि गलत स्व-घोषणा के 'शपथ-पत्र' जितने ही कानूनी परिणाम होते हैं।

2. खाद्य पदार्थों में पेस्टीसाइडों की एमआरएल का सुमेलन

2.1 खाद्य प्राधिकरण ने विभिन्न खाद्य पदार्थों में भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थों सहित विभिन्न पेस्टीसाइडों और पशु औषधियों एवं एंटी बायोटिकों के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमाएँ/सहयता सीमाएँ निर्धारित करने के लिए डिसीजन ट्री एप्रोच के संबंध में वैज्ञानिक सिमति द्वारा की गई सिफारिशों के मद पर विचार किया। एक सदस्य ने क्रम संख्या 73 पर पेस्टीसाइड एथफॉन के लिए 'अन्य फलों' की एक अन्य श्रेणी शामिल करने का सुझाव दिया। तथापि, यह उल्लेख किया गया कि सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों सहित सभी सुझावों पर मसौदा अधिसूचना में विचार किया जाएगा।

2.2 संयुक्त सचिव, कृषि विभाग ने अवलोकन किया कि इस अधिसूचना से पारदर्शिता आएगी। सदस्यों का विचार था कि इस मसौदा विनियम में शामिल न किए पेस्टीसाइडों, पशु औषधियों और एंटी बायोटिकों के आँकड़े कृषि मंत्रालय से विचार-विमर्श करके प्राप्त किए जाएँ।

2.3 एक सदस्य द्वारा पेस्टीसाइडों, पशु औषधियों और एंटी बायोटिकों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में सी.ई.ओ., एफ.एस.एस.ए.आई ने सुझाव दिया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी अच्छी खाद्य परीक्षण

प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए एक व्यवसाय मॉडल का विकास करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि वह मंत्रालय प्रयोगशाला उन्नयन के लिए एक मौजूदा योजना चला रहा है।

2.4 खाद्य प्राधिकरण ने "डिसीजन ट्री एप्रोच" और विभिन्न खाद्य पदार्थों में भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थों सहित विभिन्न पेस्टीसाइडों और पशु औषधियों एवं एंटी बायोटिकों के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं/सहयता सीमाओं का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन करने के साथ एजेंडा मद के **अनुबंध 1 से 3** पर संलग्न मसौदा अधिसूचना का भी उसके पाठ की विधीक्षा की शर्त के अध्यधीन अनुमोदन किया।

3. **पोषण संबंधी सूचनाओं में ट्रांस फैट की घोषणा करने से संबंधति खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.2.2 की खंड 3 के उप-खंड (5) में संशोधन**

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और वैज्ञानिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुमोदन के साथ एजेंडा मद के **अनुबंध 4** पर संलग्न मसौदा अधिसूचना का भी उसके पाठ की विधीक्षा की शर्त के अध्यधीन अनुमोदन किया।

4. **खाद्य वनस्पति तेलों/खाद्य वनस्पति वसा श्रेणियों के विरुद्ध संघटकों:श्रेणी टाइटलों की सूची से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.2 के उप-विनियम 2.2.2 के खंड 2(ग) में संशोधन**

खाद्य प्राधिकरण ने कार्यसूची और एजेंडा मद के **अनुबंध 5** पर संलग्न मसौदा अधिसूचना पर विचार किया। चर्चा के बाद प्राधिकरण मसौदा अधिसूचना के 2(ख) में यह परिवर्तन करने के लिए सहमत हुई कि "खाद्य तेल का नाम बताएँ" शब्दों की जगह "सरसों के तेल, मूँगफली के तेल इत्यादि जैसे खाद्य तेल के स्रोत का नाम बताएँ" शब्द रखे जाएँ। मसौदा अधिसूचना का इन परिवर्तनों के साथ अनुमोदन किया गया।

5. **लेबलिंग अपेक्षाओं में "थोक पैकेज और छूटें" की परिभाषा से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011 के उप-विनियम 1.2.1 के खंड 12 और उप विनियम 2.6.1 (1), (2) और (5) में संशोधन**

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और एक सदस्य ने अवलोकन किया कि उसे विनियम के खंड 12 के उप खंड (क) को समाप्त करने से पड़ने वाले प्रभावों के कारण बनाए रखना होगा। इस बिंदु को नोट किया गया और अंतिमत: इस प्रस्ताव की पुन: जाँच करके इसे प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

6. **दिनांक 1 अगस्त, 2014 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में सूचना**

खाद्य प्राधिकरण ने इसके सदस्यों की सूचना के लिए परिचालित मद को नोट किया।

7. केंद्र-राज्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए पात्रता के मानदंड

खाद्य प्राधिकरण ने इसके सदस्यों की सूचना के लिए परिचालित मद को नोट किया और प्रस्ताव का समर्थन किया।

8. संसाधित फलों और सब्जियों के लिए मानक

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और एजेंडा मद सं0 8 के माध्यम से परिचालित वैज्ञानिक समिति द्वारा संसाधित फलों और सब्जियों के मानकों के बारे में की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया। सदस्यों द्वारा दिए गए तकनीकी सुझावों के जवाब में अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने उल्लेख किया कि सभी सुझावों पर मसौदा अधिसूचना पर प्राप्त सम्मतियों के साथ विचार किया जाएगा।

9. चावल का पौष्टिकीकरण

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और अपनी अगली बैठक में चावल के पौष्टिकीकरण संबंधी मानक का दुबारा अवलोकन करने का निर्णय लिया।

10. खाद्य वनस्पति तेल का पौष्टिकीकरण

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और अपनी अगली बैठक में खाद्य वनस्पति तेल के पौष्टिकीकरण संबंधी मानक का दुबारा अवलोकन करने का निर्णय लिया।

11. दूध का पौष्टिकीकरण

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और डॉ. जी. एस. टुटेजा, सदस्य को वे संबंधित तकनीकी कागजात उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जिनके आधार पर मानकों का निर्धारण किया गया था, जिससे मामले में आगे बढ़ने के लिए वे अपनी सम्मतियाँ/सिफारिशें दे सकें।

प्राधिकरण द्वारा यह भी नोट किया गया कि कोडेक्स प्रलेख के आधार पर पौष्टिकीकरण के दिशा-निर्देशों के लिए एक व्यापक प्रलेख तैयार किया जाए।

12. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 में नए परमाणु ऊर्जा (खाद्य पदार्थों और संबंधित उत्पादों का विकिरण से प्रसंस्करण) नियम, 2012 का सम्मिलन

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.3 में परमाणु ऊर्जा (खाद्य पदार्थों का विकिरणन) नियम, 1991 की जगह नए परमाणु ऊर्जा (खाद्य पदार्थों और संबंधित उत्पादों

का विकिरण से प्रसंस्करण) नियम, 2012 प्रतिस्थापित करने के बारे में वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

13. फल एवं वनस्पित उत्पादों के लिए सूक्ष्मजीव मानकों का अनुमोदन

इस मद पर विचार करते समय प्राधिकरण द्वारा यह अवलोकन किया गया कि इस मद पर प्राधिकरण की पिछली बैठक में भी विचार किया गया था। सदस्यों द्वारा दी गई सम्मतियों/किए गए अवलोकनों की जैविक खतरों की दृष्टि से संबंधी वैज्ञानिक पैनल द्वारा जाँच की गई थी और पुनरीक्षित मसौदा वैज्ञानिक समिति के अनुमोदन के लिए पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है। खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और एजेंडा के **अनुबंध 13** के अनुसार फल और वनस्पति उत्पादों के लिए सूक्ष्मजीव मानकों के बारे में की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया। यह भी निर्णय लिया गया कि मसौदा मानकों पर कोई सम्मति/सुझाव होने पर उन पर मसौदा अधिसूचना पर प्राप्त सम्मितयों/सुझावों के साथ विचार किया जा सकता है।

14. मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए सूक्ष्मजीव मानक

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए सूक्ष्मजीव मानकों के बारे में वैज्ञानिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन करने के साथ एजेंडा के **अनुबंध 14** के अनुसार मसौदा अधिसूचना का उसकी विधीक्षा कराने की शर्त के अध्यधीन अनुमोदन किया।

15. डेयरी व्हाइटनर

एजेंडा मद पर चर्चा करते समय कुछ सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया कि प्रस्तावित मानक में उनके सुझावों को शामिल नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि परम मान दर्शाने की जगह कुल शर्करा इत्यादि जैसे कुछ मानदंडों के लिए कोई रेंज निर्धारित करनी उचित होगी। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य प्राधिकरण ने इस मद को इस विषय पर अपनी पिछली बैठक में गठित उप समिति को वापस भेजने का निर्णय लिया।

16. एल्कोहलीय पेय विनियमों का मसौदा

एजेंडा मद पर विचार करते समय कुछ सदस्यों द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि उद्योग के कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके जवाब में यह सूचित किया गया कि मसौदा विनियम बनाते समय विशेषज्ञ ग्रुप ने सी.आई.बी.ए.सी, आई.एस.डब्ल्यू.ए.आई इत्यादि जैसे एल्कोहल उद्योग संघों के सदस्यों से परामर्श किया था। उद्योग की अन्य टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर मसौदा विनियमों को लोक समम्तियों के लिए परिचालित किए जाने के बाद विचार किया जाएगा। खाद्य प्राधिकरण ने एल्कोहलीय पेय विनियमों पर वैज्ञानिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों का इन अवलोकनों के साथ अनुमोदन किया।

आगे, सी.ई.ओ., एफ.एस.एस.ए.आई ने मसौदा एल्कोहलीय पेय विनियम की प्रति सभी राज्यों के आबकारी आयुक्तों को उनकी सम्मतियों के लिए भेजने का सुझाव भी दिया।

17. जिलेटिन में क्रोमियम की अनुमत सीमा का निर्धारण

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और जिलेटिन में क्रोमियम की अनुमत सीमा निर्धारित करने के बारे में वैज्ञानिक समिति की सिफारिश, जो कार्यसूची के **अनुबंध 20** पर संलग्न अधिसूचना के अनुसार "10 मिग्रा/किग्रा से अनधिक" है और कोडेक्स मानकों के अनुसार है, का अनुमोदन किया। यह पाठ की विधीक्षा के अध्यधीन है।

आगे, प्राधिकरण ने एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 18(ग) के उपबंधों के अनुसार उसे तुरत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया।

18. जैव खाद्य उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और जैव खाद्य पदार्थों पर मानकों पर वैज्ञानिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन करने के साथ कार्यसूची के **अनुबंध 21** पर संलग्न मसौदा अधिसूचना का उसके पाठ की विधीक्षा के अध्यधीन अनुमोदन किया। एक सदस्य ने "कवक विनिर्मितयों *"Trichoderma spp., Metarhizium, Bauveria, Verticilium, Noumeria* etc.' और ''बैक्टीरिया विनिर्मितियों *Bacillus spp., Pseudomonas fluorescens'* को 'अनुमत श्रेणी' से "प्रतिबंधित श्रेणी" में लाने का सुझाव दिया, जिस पर सहमति हुई। यह भी सहमति हुई कि उक्त मसौदा मानकों से खंड 3.15.3.6 लुप्त कर दिया जाएगा।

19. भारतीय मानकों के कोडेक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तम रीतियों से सुमेलन के बारे में अपडेट

खाद्य प्राधिकरण ने भारतीय मानकों के कोडेक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तम रीतियों से सुमेलन संबंधी अपडेट को नोट किया।

20. ताजा फलों और सब्जियों के लिए मसौदा गुणता मानक

एजेंडा मद पर चर्चा करते समय सदस्यों ने अवलोकन किया कि प्रस्तावित मसौदा मानकों से उनके कार्यान्वयन के दौरान पर्याप्त व्यक्तिपरकता उत्पन्न हो जाएगी और देश में सामाजार्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अत: खाद्य प्राधिकरण ने कृषि मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श से इस प्रस्ताव की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया।

21. जल विश्लेषण पर मसौदा मैनुअल

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और "जल विश्लेषण पद्धतियों पर मसौदा एफ.एस.एस.ए.आई मैनुअल" संबंधी वैज्ञानिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया। जल विश्लेषण पद्धति मैनुअल सहित पहले अनुमोदित 14 एफ.एस.एस.ए.आई मैनुअलों

को एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर डालने तथा उसमें और सुधार करने के लिए उस पर विभिन्न हितधारकों से 28 फरवरी, 2015 तक निर्धारित प्रपत्र में सम्मतियाँ/सुझाव मंगाने का भी निर्णय लिया गया।

22. खाद्य कारबारी (लाइसेंसशुदा/पंजीकृत) के रूप में कार्य करने वाले सहकारी समितियों के सदस्यों को एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बने लाइसेंसिंग/पंजीकरण विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र एफबीओ के रूप में पंजीकरण से छूट का प्रस्ताव

खाद्य प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को नोट किया और उसकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि वह अधिनियम, नियमों और विनियमों की भावना के अनुसार है तथा खाद्य कारबारी (लाइसेंसशुदा/पंजीकृत) के रूप में कार्य करने वाले सहकारी समितियों के सदस्यों को एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बने लाइसेंसिंग/पंजीकरण विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र एफबीओ के रूप में पंजीकरण से छूट देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

23. पूरक एजेंडा मदें

23.1 पूरक एजेंडा मद सं0 1 : कुछ खाद्य श्रेणियों अथवा अलग-अलग खाद्य वस्तुओं में उपयोग के लिए खाद्य संयोजी पदार्थों के क्षैजित मानकों का सुमेलन

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और कुछ खाद्य श्रेणियों अथवा अलग-अलग खाद्य वस्तुओं में उपयोग के लिए खाद्य संयोजी पदार्थों के क्षैजित मानकों के सुमेलन ओर उन्हें सभी संबंधितों से परामर्श के बाद लागू करने संबंधी वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया। उद्योग के प्रतिनिधियों ने सम्मतियाँ देने के लिए समय मांगा और यह निर्णय लिया कि उद्योग बैठक की तिथि से चार सप्ताह के अंदर अपनी सम्मतियाँ दे। यह भी निर्णय लिया गया कि इन मानकों की उत्पाद अनुमोदन मामलों के तीव्र निपटान में उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण औपचारिक अधिसूचना के लंबित रहते सम्मतियाँ प्राप्त होने के पश्चात उपयुक्त परामर्श के माध्यम से उन्हें लागू करना आरंभ कर सकती है।

23.2 पूरक एजेंडा मद सं0 2: दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद मानक

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद मानकों संबंधी वैज्ञानिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया। एक सदस्य ने इस क्षेत्र में कुछ खाद्य उत्पादों की श्रेणियों के बारे में कुछ अवलोकन किए। इस बात पर सहमति हुई कि संबंधित सदस्य खाद्य प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियाँ 10 दिनों के अंदर देंगी, जिससे उन्हें मसौदा अधिसूचना के लिए भेजने से पूर्व उन पर विचार किया जा सके।

23.3 पूरक एजेंडा मद सं0 3: मांस और कुक्कुट उत्पादों को भारतीय मंडी में रखने संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए नीति बनाने संबंधी प्रस्ताव

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और मांस और कुक्कुट उत्पादों को भारतीय मंडी में रखने संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए प्रस्तावित नीति का उसे डब्ल्यू.टी.ओ. को अधिसूचना के लिए तुरंत भेजने की दृष्टि से अनुमोदन किया।

23.4 पूरक एजेंडा मद सं0 4: खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, टोक्सिन और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के मसौदा संशोधन में 2 पेस्टीसाइडों को शामिल करना

खाद्य प्राधिकरण ने मद का अनुमोदन किया और पूरक एजेंडा के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, टोक्सिन और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के मसौदा संशोधन में 2 पेस्टीसाइडों को शामिल करने संबंधी वैज्ञानिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया।

23.5 पूरक एजेंड मद सं0 5: प्राधिकरण की सूचना के लिए प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

खाद्य प्राधिकरण ने अपनी पिछली बैठक के बाद लिए गए विभिन्न निर्णयों/जारी किए आदेशों को नोट किया और लिए गए निर्णयों का समर्थन किया। एक सदस्य ने दिनांक 16.12.2014 और 17.12.2014 के एक्स्टेंशन देने संबंधी आदेशों का हवाला देते हुए अवलोकन किया कि इन मामलों में और आगे एक्स्टेंशन न दी जाए। सी.ई.ओ. ने स्पष्ट किया कि फाइल में यह लिखा गया है कि यह आखिरी एक्स्टेंशन होगी और तदनुसार सदस्य द्वारा सुझाई गई आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

23.6 पूरक एजेंडा मद सं0 6:

भाग 1: खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के गठन में परिवर्तन

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनलों के गठन में प्रस्तावित परिवर्तनों का अनुमोदन किया।

भाग 2: कार्यकारी दलों का गठन

खाद्य प्राधिकरण ने एजेंडा मद पर विचार किया और कुछ कार्यकारी दल सृजित करने के संबंध लिए गए निर्णय का समर्थन किया। यह अवलोकन किया गया कि एफ.एस.एस.ए.आई को उपलब्ध ज्ञान/विशेषज्ञों के पूल के बारे में एक डैटाबेस भी तैयार करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी विशेषज्ञता का उपयोग उठाया जा सके।

24. समापन टिप्पणियाँ

24.1 अंत में यह बताते हुए कि यह उनकी आखिरी बैठक होगी, अध्यक्ष ने प्राधिकरण के सभी सदस्यों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने आगे अवलोकन किया कि सुमेलन कार्य का बहुत सा वायदा किया गया कार्य कर लिया गया है। उन्होंने प्राधिकरण के कार्यकरण में इसके पिछले और मौजूदा सदस्यों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रशंसा की। उन्होंने उजागर किया कि प्राधिकरण का गठन एक स्वायत संवैधानिक विनियामक निकाय के रूप में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए किया गया था।

24.2 इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने इन अवलोकनों को दोहराया कि विभिन्न मंचों पर अपने-अपने मुद्दे उठाने के कई स्रोतों की बजाय प्राधिकरण में विभिन्न हितों के प्रतिनिधि ही ऐसे हितधारकों के ग्रुपों के मुद्दों को उठाने के लिए एकल संपर्क बिंदु होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी विकट घड़ी में प्राधिकरण का प्रमुख होना चुनौतीद भरा था, परंतु वे सफलता केवल सभी सदस्यों के सहयोग से प्राप्त कर सके। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्राधिकरण से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की हर समय संरक्षा करने की अपेक्षा रहती है।

24.3 सी.ई.ओ., एफ.एस.एस.ए.आई ने अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई और श्री एस. दवे, सलाहकार के उन निष्ठापूर्वक प्रयासों और धैर्य की प्रशंसा की जिनसे उन्होंने अपने भारी काम को निपटाया और प्राधिकरण को इसके प्रारंभिक काल में उपयोगी सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया।

24.4 डॉ. टुटेजा, सदस्य ने खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों की ओर से बोलते हुए एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 में निर्धारित अधिदेश को आगे बढ़ाने में अध्यक्ष एवं सलाहकार की उत्कृष्ट सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

हस्ता/- हस्ता/-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष

अनुबंध-1

क. प्राधिकरण के सदस्य

1. श्री के चन्द्रमौली, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री वाई. एस. मलिक, सी.ई.ओ/एफ.एस.एस.ए.आई एवं सदस्य सचिव;
3. श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली;
4. डॉ. रीता वशिष्ठ, संयुक्त सचिव एवं एल.सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
5. श्री उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, डी.ए.सी, कृषि भवन, नई दिल्ली;
6. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली;
7. डॉ. जी.एस. टुटेजा, निदेशक, मरुस्थल औषध अनुसंधान केंद्र (डीएमआरसी), न्यू पालि रोड, आई.सी.एम.आर कैंपस 2, टी.ए.आई, 3 रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली;
8. डॉ. (सुश्री) ललिता रामकृष्ण गौडा, सेवा निवृत्त मुख्य वैज्ञानिक, 1235, गंगे रोड, तीसरा क्रास, कुवेंपुनगर, मैसूर-570023, कर्नाटक;
9. श्री सलीम ए. वैल्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ एवं निदेशक, खाद्य एवं औषध प्रशासन, खाद्य एवं औषध प्रशासन निदेशालय, धन्वंतरी, हॉली क्रॉस मंदिर के सामने, बंबोलिम-403202, गोआ;
10. डॉ. ए. आर. शर्मा, सी.एम.डी., सुश्री रिसेला हैल्थ फूड्स लि0, गाँव मनवाला, सैरों रोड, धुरी, संगरूर, पंजाब-148024;
11. श्री वासुदेव के. ठक्कर, अध्यक्ष, 'वी' केयर राइट एंड इयूटी एन.जी.ओ, वी केयर हाउस, केवल फॉर्म के सामने, करोड़िया रोड, पोस्ट-बाजवा, वडोदरा, गुजरात;
12. सुश्री श्रेया पांडेय, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन, 206, अरबिंद प्लेस मार्किट, होज खास, नई दिल्ली;
13. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई), इंडिया हैबीटाट सेंटर, कोर 4ए, भूतल, लोधी रोड, नई दिल्ली;
14. श्री ठांगलुरू, मिजोरम कन्ज्यूमर्स यूनियन, ललाट चैंबर, टैंपल स्क्वेयर, टुईक्वाल साउथ, एजवाल, मिजोरम;
15. श्री अबुकलाम, मदीना मुनवारा कॉफी इस्टेट, जयपुरा कोप्पा तालुक, चिकमगलूर, कर्नाटक।

ख. एफ.एस.एस.ए. आई के अधिकारी

1. श्री एस. दवे, सलाहकार
2. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स/स्थापना/एफ.ए)
3. डॉ. प्रदीप चक्रवर्ती, निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)
4. डॉ. मीनाक्षी सिंह, वैज्ञानिक (मानक)

5. डॉ. संध्या काबरा, निदेशक (क्यूए/पीए/विधि)
6. श्री राकेश कुलश्रेष्ठ, संयुक्त निदेशक (एम)
7. श्री अनिल मेहता, अभिनामित अधिकारी (उत्तरी क्षेत्र)
8. श्री संजय गुप्ता, सहायक निदेशक (प्रवर्तन)
9. श्री बी. जी. पांडियन, सहायक निदेशक (आयात)
10. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम)
11. श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक (iv)
12. सुश्री राणुम डब्बास, वैज्ञानिक (iv)
13. सुश्री धान्या, तकनीकी अधिकारी